तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख ... जो इस हुक्म ... में जारी हु...
21.02.2018	वकील वादी एवं पैरोकार राज0 उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.09.2017 डिक्री दिनांक 11.10.2017 की पालना में आदेश क्रमांक/राजस्व/विभाजन/17/886 दिनांक 24.10.2017 के संदर्भ में तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/प्रा0दि0/2017/170 दिनांक 05.01.2018 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये है। विद्वान अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि वादी के हक हिस्सा अनुसार तहसीलदार हनुमानगढ़ से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये है के अनुसार वाद डिक्री फरमाया जावे। अतः वाद वादी तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.01.2018 के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी चक 11 एलएलडब्लयू के प.नं. 116/223 (59) किला नं. 4, 7/.506, प.नं. 116/222 (44) के किला नं. 25/.126 मय खाला, प.नं. 117/222 (45) किला नं. 21/.253, प.नं. 117/223(58) किला नं. 1/.253 का खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार खाता प्रतिवादीगण से अलग किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे। शेष भूमि यथावत रहेगी। तादाद 100/– रूपये का स्टाम्प तकमिलन शामिल फाईल करवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमिल जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 21.02.2018 को बसरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़ सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवान :–

1. बलतेजसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादी।

बनाम

1. बख्तावरसिंह
2. सुखदेवसिंह

पिसरान दलसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

3. सुखविन्दरसिंह पुत्र स्व. बंसतसिंह पुत्र भगतसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4. गुरसेवकसिंह
5. गुरभजनसिहं
6. गुरबक्शसिंह
7. गुरदाससिंह

पिसरान स्व. बलवंतसिंह पुत्र भगतसिंह अकवाम जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8. दलजीतसिंह वल्द सरजीतसिंह
9. चरणजीत कौर पत्नी अजीतसिंह
10. परमिन्दर कौर पुत्री अजीतसिंह
11. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र अजीतसिंह
12. दर्शनसिंह पुत्र तोतासिंह
13. गुरलाभसिंह पुत्र अजायबसिंह
14. गुरतेजसिंह पुत्र गुरचरणसिंह
15. गुरप्रीतसिंह पुत्र मलकीतसिंह
16. विरेन्द्रसिंह पुत्र बलतेजसिंह
17. गुरदयाल कौर पत्नी चन्दसिंह

अकवाम जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

18. हिम्मतसिंह
19. आनंदसिंह
20. कमलादेवी

पिसरान लक्ष्मणसिंह पुत्र अडिसालसिंह जाति राजपूत जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

21. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी. एक्ट बाबत।

प्रकरण संख्या 34 सन् 2017 निर्णय दिनांक 21.02.2018

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादी श्री अनिल कुमार शर्मा तथा पैरोकार राज तहसीलदार हनुमानगढ़ की उपस्थिति में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वाद–वादी तहसीलदार हनुमानगढ़ से पत्रांक/170 दिनांक 05.01.2018 के साथ प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी चक 11 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 116/223 (59) किला नं. 4, 7/.506, प.नं. 116/222 (44) के किला नं. 25/.126 मय खाला, प.नं. 117/222 (45) किला नं. 21/.253, प.नं. 117/223(58) किला नं. 1/.253 का खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार खाता प्रतिवादीगण से अलग किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे। शेष भूमि यथावत रहेगी। तादाद 100/– रूपये का स्टाम्प तकमिलन शामिल फाईल करवाया जावे।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी–प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेंगें। आज दिनाक 21.02.2018 को यह अन्तिम पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्डाधिकारी, (राजस्व)

Web Copy – Not Official

Scanned by CamScanner